# न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

## पीठासीन अधिकारीः— श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एसस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 28/2017 2017/00203

अनवान :—

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल बिश्नोई जाति बिश्नोई (विक्रेता मालिक) मैसर्स हेवमोर पार्लमोर, सेक्टर नं. 5 हेमू सर्किल, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर (राज.) निवासी— ए— 11, करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर—

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1— प्रार्थीपक्ष — श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बीकानेर

2— अप्रार्थी पक्ष की ओर से — श्री संजय बिश्नोई अधिवक्ता।

—: निर्णय :— दिनांक 28.06.2018

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने दिनांक 25.05.2016 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स हेवमोर पार्लमोर, सेक्टर नं. 5 हेमू सर्किल, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर (राज.) प्रो. श्री राजेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल बिश्नोई (विक्रेता मालिक) निवासी ए—11, करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण के दौरान 2 नग प्रत्येक 700 मिली. गत्ते के पैकेट आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) आम जनता के लिए विक्रय हेतु रखा हुआ पाया गया। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त डिब्बे में रखी हुई आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) में से 2 नग प्रत्येक 700 मिली. आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय की गई। जिसकी कीमत रूपये 320/—में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पंर श्री गोपालकृष्ण शर्मा, तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चार सीलबन्द शीशीयों में से एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/1865/Act/ 2016/2823 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) सबस्टेण्डर्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बिश्नोई उपस्थित आये तथा जबाब प्रस्तुत किया। तदन्तर दोनों पक्षों का कथन सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित होकर बहस में कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर से जांच करवाई गई। इस पर मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk Fat 10% की तुलना में 7.34 प्रतिशत का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी की एक फर्म कायरा एन्टरप्राईजेज नाम से है तथा हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड कम्पनी द्वारा अप्रार्थी की फर्म को आईसक्रीम के विक्रय वास्ते फ्रेन्चाईजी नियुक्त कर रखा है। अप्रार्थी वही आईसक्रीम विक्रय करता है। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि कम्पनी द्वारा उक्त आईसक्रीम शीलसुदा पैकेट विक्रय वास्ते भेजती है वही आईसक्रीम अप्रार्थी द्वारा आगे उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। दौराने निरीक्षण प्रार्थी पक्ष खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अप्रार्थी पक्ष द्वारा अवगत करवा दिया था कि उक्त आईसक्रीम के विनिर्माता हेवमोर आईसक्रीम कम्पनी लिमिटेड है तथा अप्रार्थी केवल मात्र विक्रेता है। नियमानुसार हेवमोर आईसक्रीम लिमिटेड कम्पनी को नोटिस दिया जाना आवश्यक था लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही मौके पर फर्द बनाई गई । खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूने की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर उसका विश्लेषण नहीं किया गया तथा ना ही विश्लेषण में लगने वाले समय की कोई सूचना दी गई। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि सबस्टेण्डर्ड (अवमानक) खाद्य पदार्थ के लिये केवल मात्र विनिर्माता को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तथा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के लिये विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अप्रार्थी आईसक्रीम का विनिर्माता न होकर केवल मात्र विक्रेता है। प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध रंजिशवश कार्यवाही की गई है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद निरस्त किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

इसके विपरीत प्रार्थी पक्ष ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस का खण्डन करते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा ना तो फर्म से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये और ना ही माल खरीद बिक्री का बिल इत्यादि प्रस्तुत किये। चूंकि उक्त उत्पाद अप्रार्थीपक्ष की फर्म पर विक्रय होना पाया गया जिस पर अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) का सैम्पल लिया गया जो बाद जांच सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी पक्ष द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाया गया आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur क्रमांक LS/1865/ Act/ 2016/2823 दिनांक 09.08.2016 की रिर्पोट संलग्न है इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) में Milk Fat 10% की तुलना में 7.34 प्रतिशत है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सब–स्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का आईसक्रीम (वनिला हेवमोर) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों 26(2) ii का उल्लघंन किये जाने के कारण हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर धारा 51 के तहत रूपये 50,000/– (अंखरे रूपये पचास हजार) की शास्ति आरोपित करते हैं एवं अप्रार्थी को यह हिदायत भी देते है कि भविष्य में वह इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करें और यह आदेश देते हैं कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( यशवन्त भाकर )
अति. निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner